न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 53/2017
दायर दिनांक – 20/07/2017
निर्णय दिनांक – 05/06/2018

अनवान

1. बालुराम पिता नोला जाट निवासी धनेरिया (खेतीखेडा) तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा,

प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व अभिलेख में सही अंकन बाबत।

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व अभिलेख में सही अंकन का प्रस्तुत किया कि ग्राम धनेरिया में वादी के सहखातेदारी के रूप मे आराजी संख्या 2333, 2556, 2557, 2558, 2564, 2566, 2568, 2580 कुल किता 08 कुल रकबा 24–02 बीघा स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी का नाम सहखातेदार के रूप मे गंगाराम पिता नोला के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम गंगाराम नही होकर बालूराम है व वादी को बालूराम पिता नोला के नाम से ही जाना व माना जाता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में बालुराम अंकन होना चाहिए था लेकिन बालूराम की जगह गंगाराम अंकन हो गया। क्योंकि श्री नोला जी मृत्यु जब वादी छः माह का था तब ही हो गई थी। जिससे जब नामान्तरण खोला गया तब सहवन से वादी का नाम बालुराम की जगह गंगाराम हो गया था जबकि वादी को बालूराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जो दस्तावेज वादी के नाम का है उसमें आधारकार्ड , राशनकार्ड , पहचान पत्र निर्वाचन आयोग का, सभी मे बालूराम पिता नोला के नाम से ही वादी का नाम अंकन है तथा वादी की पुत्री संगीता जाट के आधार कार्ड व टीसी स्थानान्तरण मे भी संगीता जाट पिता बालूराम जाट , वादी की पत्नि मांगी के आधार कार्ड पर , वादी के पुत्र दिनेश की अंकतालिका, आधार कार्ड,

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मुलनिवास मे भी दिनेश कुमार पिता बालूराम जाट नाम दर्ज है। खातेदार गंगाराम पिता नोला एवं वादी एक ही व्यक्ति है। इस नाम का कोई और व्यक्ति गांव धनेरिया (खेतीखेडा) में नही है। वादी को अभी अपनी जमाबंदियों की नकल की आवश्यकता हुई उसमे पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में बालुराम की बजाय गंगाराम दर्ज है। जिससे वादी ने राजस्व अभिलेख मे नाम सुधारने हेतू पटवारी हल्का को कहां तो वादी को मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नही सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधारा जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी के यहां बार बार जाता रहा तो वादी का नाम नही सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख मे गंगाराम पिता नोला के बजाय बालुराम पिता नोला अपना नाम अंकन कराने हेतू कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादी को घोषणा राजस्व अभिलेख मे सही अंकन व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलेक्टर महोदय के न्यायालय मे लगाना होगा। जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि अपने नाम बालुराम पिता नोला को राजस्व अभिलेख मे गंगराम पिता नोला के बजाय दर्ज कराने व राजस्व अभिलेख में गगांराम के बजाय बालूराम अंकन करवाने व इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतू वाद प्रस्तूत करें। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम सही अंकन है। जो बालूराम पिता नोला है जबकि राजस्व अभिलेख मे उक्त आराजीयात मे बालूराम पिता नोला के बजाय गंगाराम पिता नोला गलत अंकन है इस कारण वादी न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन, विकय आदि कर सकता है जिससे वादी के लिए उक्त वाद लाना ही आवश्यक हो गया है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतू कहा व इन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख मे सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व वाद के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सही अंकन गंगाराम पिता नोला की बजाय बालूराम पिता नोला राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतू कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतू उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता

सहायक कलक्टर

है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक हो होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम गंगाराम पिता नोला है के बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख मे बालूराम पिता नोला अर्थात वादी का नाम गंगाराम के बजाय बालूराम ईन्द्राज को दुरूस्त करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली तलबी में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत धनेरिया में आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर प्रतिवादी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि पद संख्या1. जमाबंदी अभिलेख साक्ष्य अनुसार स्वीकार है। पद संख्या 2. वादी स्वय साबित करे।पद संख्या 3. आधार हीन होने से अस्वीकार है।पद संख्या 4. वाद पत्र का औपचारिक भाग है।पद संख्या 5 व 6 वाद पत्र का औपचारिक भाग है अतः जवाब देना अपेक्षित नही है।

वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि गंगाराम पिता नोला एवं बालूराम पिता नोला जाट नाम का ग्राम धनेरिया में एक ही व्यक्ति वादी होकर अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा वादी का सही नाम बालूराम पिता गंगाराम जाट है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों के आधार पर वादी अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व अभिलेख में सही अंकन का स्वीकार किया जाकर ग्राम धनेरिया में वादी के सहखातेदारी के रूप मे आराजी संख्या 2333, 2556, 2557, 2558, 2564, 2566, 2568, 2580 कुल किता 08 कुल रकबा 24–02 बीघा में वादी का नाम गंगाराम पिता नोला जाट के बजाय गंगाराम उर्फ

21

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बालूराम पिता नोला जाट के नाम से खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प धनेरिया पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा